



2026:AHC:67700-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 4054 वर्ष 2026

श्रीमती उर्मिला देवी और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुरेश धर द्विवेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 47

माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति श्री तरुण सक्सेना

1. हमारे दिनांक 30.03.2026 के आदेश के अनुपालन में, पीड़ित, गरिमा को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिसकी पहचान उपनिरीक्षक पूजा तोमर (पीएनओ 231095266), थाना-भुतार, जिला बरेली द्वारा की गई है, जिसने हमारे आदेश के अनुपालन में पीड़िता को सामने लाया है।
2. विवाद को निर्धारित करने के लिए, जो इस याचिका के निचले भाग में है, हम पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़ते हैं:

प्रश्न। आपका नाम?

ए। गरिमा।

प्रश्न। आपके पिताजी का नाम?

ए। संजीव सिंह।

प्रश्न। आपकी उम्र कितनी है?

ए। उन्नीस साल (19 साल)।

प्रश्न। आप इस समय कहाँ से आयी हैं?

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए। बरेली से।

प्रश्न। बरेली में किसके घर पर थी आप?

ए। अपने ससुराल में।

प्रश्न। अपने ससुराल में थी आप?

ए। हाँ।

प्रश्न। आपको ससुराल से कोई ले गया था?

ए। हाँ।

प्रश्न। कौन ले गया था?

ए। मौसी और पापा।

प्रश्न। कब ले गये थे?

ए। एक सितंबर को (01.09.2025)।

प्रश्न। वापस कब आयी?

ए। इक्कीस फरवरी को (21.02.2026)।

प्रश्न। कैसे वापस आयी?

ए। मुकदमा लिखवाया था मेरे ससुराल वालों ने।

प्रश्न। तो कौन वापस लाया?

ए। दीदी।

प्रश्न। दीदी से क्या मतलब ह? ै

ए। पूजा मैडम (उप-निरीक्षक पूजा तोमर का जिक्र करते हुए)

प्रश्न। आपके पति का नाम क्या ह? ै

ए। आदित्य।

प्रश्न। क्या आपने आदित्य से शादी अपनी मर्जी से की थी?

ए। हाँ।

प्रश्न। बन्टू शर्मा कौन हैं? हैं

ए। ससुर जी।

प्रश्न। पापा और मौसी पर ये मुकदमा चलाना चाहती हैं आप हैं ?

ए। हाँ।



3. न्यायालय के समक्ष अभियोक्ता का पक्ष रखने के लिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'प्राथमिकी') में यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 01.09.2025 की रात को उसके घर के बाहर कहीं उसका अपहरण कर लिया गया था, जब वह शौच के लिए गई थी, तो हमें आक्षेपित प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं दिखता है।

4. फिर भी याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि मामला पूरी तरह से झूठा है, और प्रतिपक्षी संख्या-3 के बेटे आदित्य ने अपनी बेटी का जबरन अपहरण कर लिया और उसकी सहमति के बिना आर्य समाज मंदिर में उसकी शादी कर ली। ये याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए विवादित बचाव हैं, जिनका परीक्षण में परीक्षण करना आवश्यक है।

5. इन परिस्थितियों में, आक्षेपित प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं है।

6. रिट याचिका विफल हो जाती है और **खारिज** की जाती है।

7. अभियोक्ता को अदालत में पेश किया गया है, उसे सब-इंस्पेक्टर पूजा तोमर, थाना-भुतार, जिला बरेली द्वारा सुरक्षा और सुरक्षा में उसके ससुराल वापस ले जाया जाएगा।

8. यह आदेश पक्षकारों के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया है।

मार्च 31, 2026

I. बटाब्याल/सी मनी

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)